

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
<p>25³/₂₀₁₂</p>	<p>पत्तावली देखा है। कादी व बादी वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार कादी व बादी वकील को आवाज मिल रही है। आलापिका के सम्बन्ध कादी व बादी वकील आक्षेप नहीं किया जा रहा है कि कादी व बादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहा है।</p> <p>अतः सुनवा 302/94 काया अशौक काया कपूरचंद काया दाजरी व अरुण देवी में वनाशित किया जा रहा है। पत्तावली फॉर्मल सुनवा 302 नम्बर में मर्का।</p> <p style="text-align: center;"> ↓ उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली) </p>	